बिहार सरकार
वित्त (अंकेक्षण) विभाग
बिहार, पटना।

अंकेक्षण प्रतिवेदन सं0 :– 23/15–16

(1) **परिचयात्मक** :–

(क) **अंकेक्षित, लेखा का नाम** :– अंचल कार्यालय, काको, जहानाबाद।

(ख) **अंकेक्षण लेखा अवधि** :– वर्ष 2012–13 एवं 2013–14

(ग) **प्रशासी विभाग का नाम** :– भ–राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग।

(घ) **अंकेक्षित अवधि के नियंत्री पदाधिकारी का नाम/पदनाम एवं कार्यकाल** :–

जिला पदाधिकारी, जहानाबाद।

नाम एवं अवधि :– अप्राप्त।

(ङ) **अंकेक्षित अवधि के लेखा प्रभारी पदाधिकारी एवं कर्मचारियों का नाम/पदनाम एव कार्यकाल** :–

क्र0 सं0	नाम	पदनाम	कार्यकाल
1	श्री अशोक कुमार गुप्ता	अंचलाधिकारी	01.04.12 से 05.12.12
2	श्री निरंजन कुमार	अंचलाधिकारी	06.12.12 से 19.01.14
3	श्री श्वेताभ कुमार वर्मा	अंचलाधिकारी	20.01.14 से 31.03.14
4	श्री अमित कुमार रंजन	नाजीर	01.04.12 से 05.12.12
5	मो0 मुमताजुद्धीन	नाजीर	06.12.12 से 31.03.14
6	श्री रामजी प्रसाद	प्रधान लिपिक	01.04.12 से 31.03.14

(च) अंकेक्षण में सहयोग देनेवाले पदाधिकारी एवं कर्मचारियों का नाम एवं पदनाम :–

क्र0 सं0	नाम	पदनाम
1	श्री श्वेताभ कुमार वर्मा	अंचलाधिकारी, काको।
2	मो0 मुमताजुद्धीन	नाजीर
3	श्री मधुकर प्रसाद सिन्हा	प्रभारी प्रधान लिपिक।

(छ) अंकेक्षकों के नाम :–

(i) डॉ0 अरूण कुमार, वरीय अंकेक्षक–1

(ii) श्री उदय कुमार, वरीय अंकेक्षक–2

(ज) अंकेक्षण प्रारम्भण तिथि– 28.11.14

(झ) अंकेक्षण समाप्ति की तिथि– 30.06.15

(ञ) अंकेक्षण में व्यतीत कार्य दिवस– 42 कार्य दिवस

(ट) अंकेक्षण में प्रस्तुत एवं अप्रस्तुत अभिलेखों की सूची– परिशिष्ट ''क'' पर संलग्न है।

(2) अंकेक्षण का क्षेत्र :–

अंचल कार्यालय, काको, जहानाबाद के लेखा का सामान्य अंकेक्षण, विभागीय ज्ञापांक 3286 दिनांक 15.09.1960 में निवृित निर्दोशो के आलोक में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर सम्पन्न किया गया। अंचल कार्यालय, काको का कार्य क्षेत्र आठ हल्कों में बँटा हुआ है। वित्तीय स्रोत के रूप में काको, अंचल को इन्ही आठ हल्कों से भू–लगान एवं सैरात के माध्यम से राजस्व की वसूली की जाती है। बिहार सरकार द्वारा समय–समय पर आवंटन एवं अनुदान के रूप में भी राशि की प्राप्ति होती है। राजस्व वसूली से सम्बंधित हल्कों के अभिलेखो की जाँच शत्प्रतिशत् किया गया। अंकेक्षित अवधि में कोषागार से निकासी की गयी राशि का तथा कोषागार में जमा की गयी राशि का, शत्प्रतिशित् सत्यापन जिला कोषागार जहानाबाद के अभिलेखों एवं कम्प्यूटर में दर्ज प्रविष्टि से किया गया तथा पाया गया। अंकेक्षण में पूर्व के अंकेक्षण प्रतिवेदन की मांग की गयी परन्तु अंकेक्षण प्रतिवेदन नहीं दिया गया। फलतः पूर्व के लंबित अंकेक्षण प्रतिवेदनों के अनुपालन की समीक्षा नहीं की जा सकी।

(3) <u>वित्तीय समीक्षा</u> :–

अंचल कार्यालय, काको, जहानाबाद को प्राप्त आवंटन एवं व्यय विवरणी परिशिष्ट 'ख' पर दृष्टव्य है। अंकेक्षित अवधि में प्राप्त आवंटन से अधिक व्यय नहीं किया गया था। 2055 पुलिस शीर्ष एवं 2029 भूराजस्व शीर्ष के वेतन भत्ते आदि में वित्तीय वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 में एक बड़ी राशि बचत के रूप में दिखाई गयी थी। बचत की राशि का प्रत्यार्पण भी किया गया था। वित्त विभागीय पत्रांक 7677 वि0–2 दिनांक 31.10.2000 के अनुसार त्रुटिपूर्ण बजट निर्माण की पूरी जबाव देही नियंत्री पदाधिकारी की है। अतः भविष्य में आवश्यकतानुसार बजट बनाने के लिए प्रशासी विभाग का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है। इसी प्रकार इन्ही शीर्षो में दूरभाष विधुत प्रभार एवं मात्रा भत्ता मद की राशि को बचत दिखाते हुए प्रत्यार्पित किया गया था। शीर्ष 2245 सहाय मद में वर्ष 2012–13 में विभिन्न मदों रूपया 1,15,000=00 का आय/ आवंटन प्राप्त था। इसके विरूद्ध रूपया 89295=00 व्यय किया गया था। शेष रूपया 25705=00 को प्रत्यार्पित किया गया था। इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2013–14 में सहाथ्य शीर्ष 2245 में कुल आवंटन रूपया 718895=00 प्राप्त हुआ था। जिसके विरूद्ध रूपये 188253=00 का व्यय किया गया था। शेष रूपया 530642=00 का बचत दिखाते हुए उसका प्रत्यार्पण किया गया था। उपर्युक्त प्रत्यार्पण की समीक्षा हेतु प्रशासी विभाग का ध्यान प्राकृष्ट किया जाता है। हल्का से संबंधित मांग एवं वसूली की विवरणी परिशिष्ट "ग" दृष्टव्य है। जिसके अवलोकन से स्पष्ट होगा कि वर्ष 2012–13 में कुल वसूली हेतु राजस्व माँग रू0 6472294=00 को विरूद्ध मात्र रू0 1006500=00 की वसूल की गयी जो मात्र 15.55% रहा। इसी तरह वर्ष 2013–14 में कुल माँग रू0 2248710=42 के विरूद्ध रू0 800565=00 की ही वसूली की गयी जो मात्र 35.60% औसत उक्त कम राजस्व वसूली के विरूद्ध समीक्षा एवं कारवाई हेतु प्रशासी विभाग का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। विवरणी के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होगा कि वर्ष 2012–13 में वसूली के पश्यात वसूली हेतु कुल राजस्व राशि 5465794=00 वसूली हेतु प्रवशेष रहा जिसे अगले वित्तीय वर्ष 13–14 में बकाया के रूप में दिखाया जाना चाएि था परन्तु मात्र रू0 1860112=00 ही दिखाया गया। इस तरह मांग एवं संग्रहण विवरणी

काल्पनिक प्रतीत होता है। जिसके विरूद्ध छानवीन हेतु प्रशासी विभाग का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

रोकड़ भौतिक सत्यापन– वित्त (अंकेक्षण) विभागीय ज्ञापांक 503 दिनांक 29.01.76 के निदेशानुसार अंकेक्षण प्रारम्भण तिथि को रोकड़ पंजी में संवरण शेष का भौतिक सत्यापन निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा करते हुए इस आशय का प्रमाण पत्र रोकड़ पुस्त में अंकित कर अंकेक्षण को नहीं दिखाया गया। इस ओर प्रशासी विभाग का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

रोकड़ पुस्त के संवरण शेष की स्थिति– अंकेक्षित अवधि में सामान्य रोकड़ वही का संवरण शेष निम्न रूप में था।

दिनांक	संवरण की राशि	संवरण का विवरण	
01.04.12	459744=79		
31.03.13	783515=79	पंजाब नेशनल बैंक, काको, जहानाबाद बचत खाता सं0–2321000100090769	33416=76
		एस0 बी0 आई, हाजीपुर, जहानाबाद बचत खाता सं0–32051095463	386607=00
		एस0 बी0 आई (कृषि) जहानाबाद बचत खाता सं0–11332229294	47167=64
		एडवांस (अग्रिम)	21894=51
		असमायोजित अभिश्रव	295150=53
		योग– **असमायोजित अभिश्रव** **कुल–**	**784236=44** **– 720=65** **783515=79**
दिनांक	संवरण की राशि	संवरण का विवरण	
31.03.14	1234503=79	एस0 बी0 आई0 हाजीपुर, जहानाबाद बचत खाता सं0–32051095463	787708=00

		पंजाब नेशनल बैंक, काको, जहानाबाद बचत खाता सं0–2321000100090769	35456=76
		अग्रिम	20219=51
		असमायोजित अभिश्रव	326961=93
		सिंगल लॉक	64157=59
		कुल योग–	1234503=79

(4) अंकेक्षित कार्यालय के स्वीकृत/कार्यरत/रिक्त पदों का विवरण :–

अंचल कार्यालय, काको, जहानाबाद के लिए स्वीकृत एवं कार्यरत बलों की स्थिति परिशिष्ट "घ" पर दृष्टव्य है। कार्यरत बल स्वीकृत के अन्तर्गत पाया गया।

भाग– 2

(5) रूपये 8686 का अस्थायी गवन :–

लगान वसूली वर्ष 13–14 के क्रम में पाया गया कि हल्का सं0 5 के राजस्व वसूली के रूप में कुल रू0 114086=00 की वसूली की गयी थी। यह राशि अंचल नजारत में जमा किया जाना था। परन्तु वित्तीय वर्ष 2013–14 में कुल रू0 105400=00 ही विभिन्न नाजीर रसीदों के माध्यम से अंचल नजारत में जमा कराया गया। शेष राशि 114086=00– 105400=00 =8686 रूपये के सम्बंध में अंकेक्षण में आपत्ति निर्गत कर अनुपालन हेतु आग्रह किया। अनुपालन में यह स्पष्ट हुआ कि यह राशि नाजीर रसीद सं0–44626 दिनांक 18.06.14 को अंचल नजारत में जमा करायी गयी थी।

इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2013–14 में वसूली गयी राशि दो माह 17 दिनों के बाद अंचल नजारत में जमा करायी गयी थी। जो अनियमितता अर्थात अस्थायी गवन की गयी थी।

अतः इस संबंध में दोषी व्यक्ति पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करते हुए वित्त (अंकेक्षण) विभाग को की गयी कार्रवाई से अवगत कराया जाय।

(6) सैरात बन्दोवस्ती नहीं किये जाने के फलस्वरूप सुरक्षित जमा के रूपये 200294=00 कम वसूली राजस्व की क्षति :–

काको पी0 डब्लू डी0 सब्जी हाट सैरात के अंकेक्षण क्रम में पाया गया कि सुरक्षित जमा पिछले वर्ष 2011–12 में रू0 136250=00 था। परन्तु वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 में इसकी बन्दोवस्ती समय पर नहीं की गयी फलस्वरूप विभागीय स्तर पर उक्त सैरात से वसूली का कार्य सम्बंधित हल्का के राजस्व कर्मचारी द्वारा किया गया था। सम्बंधित कर्मचारी वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 में वसूली कर सैरात की राशि क्रमशः निम्नवत् रू0 72206=00 जमा करायी गयी थी। जिसका पूर्ण विवरण परिशिष्ट "ङ" पर अंकित है। इस प्रकार उक्त सैरात से जमा योग्य राशि एवं कम जमा राजस्व राशि का संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है।

वर्ष	जमायोग्य राशि	जमा राशि	अन्तर की राशि (कम वसूली)
2012–13 एवं 2013–14	272500=00	72206=00	200294=00

इस प्रकार वर्ष 12–13 एवं 13–14 में कुल रू0 200294=00 उक्त सैरात के विरूद्ध कम वसूली फलस्वरूप अंचल नजारत में कम जमा करायी गयी। फलस्वरूप सरकारी राजस्व के रूप में कुल रू0 200294=00 की क्षति हुई।

इस प्रकार सम्बंधित व्यक्ति/व्यक्तियों से शेष राजस्व की क्षति राशि रू0 200294=00 की वसूली कर कोषागार में जमा करायी जाय। साथ ही अंकेक्षण उच्चाधिकारियों का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराता है कि जिन अधिकारियों की लापरवाही के कारण सैरात की बन्दोवस्ती नहीं हुई उनके विरूद्ध विभागीय कार्रवाई करते हुए भविष्य में इस पर रोकथाम लगाने हेतु आवश्यक कदम उठाए जायें। साथ ही इसकी सूचना वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को दी जाय।

(7) सैरात संबंधि रू0 15500=00 जमा नहीं वसूली योग्य :–

वर्ष 2012–13 के सैरात की जाँच में पाया गया कि बाद सं0 4/12–13 में ग्राम भदसरा के अन्तर्गत खाता सं0 153 प्लॉट सं0 643 पर सूखा आम के पेड़ की निलामी की गयी थी। नीलामी के पश्चात श्री ललन शर्मा ग्राम भदसरा को रू0 15500=00 की

अदायगी पर आदेश संख्या ज्ञापांक 329 दिनांक 10.05.12 निर्गत किया गया तथा उक्त आदेश सामिल कराया गया। यह आदेश इस शर्त पर तामिल कराया जाना था कि निलामी का रू0 15500=00 अंचल नजारत में जमा करा दिया जाय। परन्तु राशि अंचल नजारत में अंकेक्षण समाप्ति तिथि तक जमा नहीं कराया गया था। इस संबंध में निर्गत आपत्ति के अनुपालन में यह स्वीकार किया गया कि राशि 15500=00 अंचल कार्यालय में जमा नहीं हुआ। जमा नहीं किये जाने की वस्तुस्थिति पर आवश्यक कारवाई करते हुए रू0 15500=00 संबंधित व्यक्ति/व्यक्तियों से वसूल कर कोषागार के उचित शीर्ष में यथाशीघ्र जमा कराया जाय। इसकी सूचना वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार , पटना को भी दी जाय।

(8) <u>सैरात संबंधि रू0 10745=00 राजस्व की क्षति</u> :-

दक्षिणि छठ मेला सैरात के वर्ष 12-13 एवं 13-14 के अभिलेखों की जाँच में यह पाया गया कि सुरक्षित जमा से कम वसूली की गयी थी। सैरात बन्दोबस्ती समय पर नहीं कर संबंधित हल्का कर्मचारी से वसूली कारवाई गयी थी। इस मेला हेतु सुरक्षित जमा के रूप में 6100=00 रूपये प्रतिवर्ष वसूली किया जाना था। परन्तु वर्ष 12-13 एव 13-14 में क्रमशः रूपये 950=00 तथा 505=00 की ही राशि अंचल नजारत में जमा करायी गयी थी।

इस प्रकार दो वर्षो में रू0 12,200=00 के स्थान पर 950=00+505=00 1455=00 रूपये ही अंचल नजारत में जमा हुआ था। जमा राशियों का विवरण निम्नवत है :-

वर्ष	तिथि	एन0 आर0 न0	राशि
12-13	30.05.13	02692900	950=00
13-14	18.06.14	044627=00	505=00
		कुल-	**1455=00**

इस प्रकार कुल 12200=00-1455=00 =10745=00 रूपये बन्दोवस्ती नहीं किये जाने के फलस्वरूप राजस्व की क्षति हुई। जिसे संबंधित व्यक्ति/व्यक्यिों से वसूल कर कोषागार के उचित शीर्ष में जमा कराया जाय।

साथ ही अंकेक्षण उचाधिकारियों का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराता है कि जिन अधिकारियों की लापरवाही एवं शिथिलता के कारण सैरात की बन्दोवस्ती नहीं हुई थी, जिसका प्रभाव राजस्व वसूली पर पड़ा था, उनके विरूद्ध विभागीय कार्रवाई करते हुए भविष्य में इस पर रोकथाम लगाने हेतु आवश्यक कदम उठाए जाये। इसकी सूचना वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को दी जाए।

(9) <u>राजस्व रोकड़ पंजी के योग में कमी किये जाने के फलस्वरूप रू0 1508=00 वसूली योग्य</u> :–

भू–लगान वसूली की जाँच में पाया गया कि वर्ष 12–13 के हल्का सं0 3 की 3 A पंजी में पृष्ठ 24 पर अंकित राशियों का वास्तविक योग 3891=00 होता है। परन्तु योग राशि 2383=00 ही अंकित पाया गया। इस प्रकार 3891=00 – 2383=00 =1508=00 रूपये कम योग किये जाने के फलस्वरूप अंचल नजारत में कम जमा किया गया।

अतः संबंधित कमी पर कम राजस्व राशि जमा किये जाने के विरूद्ध आवश्यक कारवाई करते हुए रू0 1508=00 की वसूली कर कोषागार के उचित शीर्ष में जमा कराया जाय। साथ ही इस की सूचना वित्त (अंकेक्षण) विभाग बिहार, पटना को दी जाय।

(10) <u>रू0 322=00 कम जमा राजस्व राशि वसूली योग्य</u> :–

(क) अंकेक्षण में यह पाया गया कि हल्का सं0–3 के वर्ष 12–13 की भू–लगान रसीद सं0–533682=00 द्वारा श्री जगदीश यादव पिता श्री नरेश यादव से लगान के रूप में कुल 242=00 रूपये की वसूली हुई थी। परन्तु पंजी 3 A में मात्र 20=00 रूपये दर्ज पाया गया था। इस प्रकार अंचल नजारत में 242.00–20.00=222.00 रूपये कम जमा कराया गया था।

इसी प्रकार–

(ख) वर्ष 13–14 के भू–लगान रसीद क्रमांक 827891 द्वारा श्रीमती श्याम लता देवी पति श्री लक्ष्मण शरण से 340=00 रूपये वसूल की गयी थी, परन्तु 3 A पंजी में 240=00 रूपये ही दर्जा पाया गया। अर्थात 340=00 –240=00 =100=00 रूपये कम अंचल नजारत में जमा किया गया।

अतः रूपये 222=00+100=00 =322=00 रूपये राजस्व की कम जमा करायी गई राशि संबंधित कर्मचारी से वसूल कर कोषागार के उचित शीर्ष में जमा करायी जाय तथा इसकी सूचना वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को दी जाय।

भाग– 3

सुझावात्मक

(11) (क) अंकेक्षण के दृष्टांत पर कोषागार से अधिक निकासी राशि कोषागार में रूपये 1450=00 जमा :–

शीर्ष 2245 अग्निराहत के अभिश्रवों की जाँच में यह पाया गया कि अभिश्रव सं0–133/13–14 के द्वारा श्री कारू पासवान पिता श्री रामलगन पासवान ग्राम अमर पुरपाली को रू0 1250=00 का भुगतान दिनांक 16.12.13 को किया गया था। परन्तु विपत्र सं0–57/13–14 द्वारा इस मद में 2700=00 रूपये की निकासी कोषागार से की गयी थी। इस तरह रू0 1450=00 (2700=00–1250=00) संवरण शेष में आवश्यक संचित था।

अंकेक्षण आपत्ति के अनुपालन में यह राशि कोषागार के उचित शीर्ष में ट्रेजरी चालान सं0–4 दिनांक 28.05.15 द्वारा जमा करा दिया गया।

(ख) संवरण शेष में अव्यवद्धत राशि रू0 2,95,795=18 कोषागार में जमा कराने योग्य :–

दिनांक 31.03.14 को विभिन्न सहायक रोकड़ पुस्तों की जाँच में पाया गया है कि रू0 2,95,795=18 काफी दिनों से संवरण शेष के रूप में चला आ रहा था। जिसे कोषागार में विहित शीर्षो के अन्तर्गत जमा कर दिया जाना चाहिए था। बिना खर्च योग्य राशि को सरकारी कोष में रखना बिहार कोषागार संहिता 2011 के नियम 176 विरूद्ध है। राशियों का विवरण निम्नवत् है :–

शीर्ष	राशि
आर0 एल0 ई0 जी0 पी0	1986=14
504 कम्पनशेसन	5878=53
विशेष योजना सांसद कोटा	51538=70
जे0 आर0 वाई0 2505	44418=00

विविध	191973=81
कुल योग–	**295795=18**

अतः उपरोक्त राशियों को सक्षम पदाधिकारी से निदेश प्राप्त कर कोषागार के उचित शीर्ष में जमा कराया जाय। तथा इसकी सूचना वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को दी जाय।

(ग) <u>भौतिक सत्यापन नियमित नहीं किया जाना</u> :–

लेखा वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 के अंकेक्षण के क्रम में यह पाया गया की रोकड़ पुस्त में रोकड़ का भौतिक सत्यापन नियमित रूप से प्रत्येक माह की 15 वीं 30 वीं तारीख को नहीं किया गया था। यह स्थिति बिहार कोषागार संहिता के नियम 86 तथा बिहार वित्त नियमावली 2011 के नियम 305 के विरूद्ध है। भौतिक सत्यापन के नहीं किए जाने के कारण रोकड़ पुस्त में अनियमितता होने की संभावना काफी बढ़ जाती है।

अतः यह सुझाव दिया जाता है कि नियमों का पालन करते हुए प्रत्येक माह की 15 वीं एवं 30 वीं तिथि को रोकड़ का भौतिक सत्यापन कर रोकड़ पुस्त में दर्ज किया जाय।

(घ) <u>राशियों का लम्बे समय तक अव्यवहृत रहना</u> :–

वित्तीय वर्ष 12–13 एवं 13–14 के अंकेक्षण में यह पाया गया की विभिन्न मदों में लम्बे समय से कोषागार से निकासी कर उसका व्यय नहीं किया गया था। जो बिहार कोषागार संहिता के भाग–1 के नियम 300 के विरूद्ध है।

अतः यह सुझाव दिया जाता है कि नियम समय पर राशि की निकासी की जाय एवं ससमय व्यय किया जाय।

(ङ) <u>असमायोजित अभिश्रव का रखा जााना</u> :–

अंकेक्षण लेखा वर्ष 2012–13 एवं 13–14 के क्रम में यह पाया गया कि असमायोजित अभिश्रवों के रूप में पूर्व से ही बड़ी राशि रोकड़ पुस्त में रखी गयी थी। असमायोजित अभिश्रव के रूप में रकम का रखा जान आवंटित मद के विचलन का घोतक है। जो बिहार बजट हस्तक के नियम 107,108,109 एवं 111 तथा 299 एवं 487 तथा कोषागार संहिता भाग–1 के नियम 306 एवं 376 (3) के प्रावधानों का उल्लंघन है।

अतः अंकेक्षण का सुझाव है कि असमायोजित अभिश्रवों से संबंधित मदों में आवंटन प्राप्त कर शीघ्र समायोजित किया जाय। एवं भविष्य में इस प्रकार के रोक थाम हेतु उच्चपदाधिकारी का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

(च) <u>रोकड़ पुस्त के आय पक्ष में रू0 4091=00 दर्ज कर संवरण शेष का सुधार अपेक्षित</u> :–

नाजीर रसीद से प्राप्त राशियों की जाँच में पाया गया कि नाजीर रसीद सं0–0846962 दिनांक 09.08.12 के द्वारा श्री शम्भू प्रसाद वर्मा पूर्व नाजीर ने अंकेक्षण आपत्ति के आधार पर कुल रूपये 4091=00 नगद जमा कराया था। इस राशि को अंचल के रोकड़ पुस्त में दर्ज नहीं किया गया था। अंकेक्षण द्वारा इस संबंध में आपत्ति संख्या 2 दिनांक 13.02.15 को अनुपालन हेतु कहा गया था। आपत्ति के अनुपालन में इस राशि को सहायक रोकड़ पुस्त में दर्ज नहीं होने को स्वीकार करते हुए यह स्पष्ट कराया गया कि राशि सीधे एस0 वी0 आई0 हाजीपुर के खाता में दिनांक 09.06.12 को जमा की गयी थी। भूल से रोकड़ पुस्त में दर्ज नहीं किया गया था।

अतः यह सुझााव दिया जाता है कि इस संबंध में रोकड़ पुस्त में सुधार किया जाय एवं इसकी सूचना वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार पटना को दी जाय।

(छ) <u>रोकड़ पुस्त संधारण</u> :–

सामान्य रोकड़ पुस्त के व्यय भाग दिनांक 31.03.15 को 720 रूपये के निजी व्यय दिखलाया गया था जो असमायोजित अभिश्रव के रूप में था। अंकेक्षण आपत्ति 19 दिनांक 13.06.15 के अनुपालन में इसे भूल स्वीकार करते हुए भविष्य में ऐसी भूल की पुनरावृति नहीं करने की बात कही गयी। अतः यह सुझाव दिया जाता है कि निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी रोकड़ की जाँच कर ही उसे स्वीकृती प्रदान करें।

मिलान एवं शुद्धिकर्त्ता के हस्ताक्षर
मो0 ओबैदुल्लाह– व0 अं0–2

उप लेखा नियंत्रक
वित्त (अंकेक्षण) विभाग
बिहार, पटना।

परिशिष्ट "क" (1) 'ट' से संबंधित

अंकेक्षण में प्रस्तुत एवं अप्रस्तु अभिलेखों की सूची :'–

प्रस्तुत अभिलेख–

क्र0 सं0		
1	विपत्र पंजी	2012–13 एवं 2013–14
2	रेमिटेन्स पंजी	
3	सामान्य रोकड़ पंजी	
4	सहायक रोकड़ पंजी	
	शीर्ष 2029 भूराजस्व	
	शीर्ष 2055 ग्रामीण पुलिस	
	शीर्ष 2015 निर्वाचन	
	शीर्ष 2045 सहाध्य	
	शीर्ष 2071 पेंशन	
	शीर्ष 2035 सामाजिक सुरक्षा	
	शीर्ष 2505 जे0 आर0 वाई	
	शीर्ष 504 क्षतिपूर्ति	
	शीर्ष आर0 एज0 ई0 जी0 पी0 पंजी	
	विविध	
	विशेष योजना सांसद कोटा	
	एन0 आर0 एफ0 पंजी	
	सूचना का अधिकार पंजी	
5	नाजीर रसीद का कार्बन प्रति	
6	भंडार पंजी	
7	यात्रा भत्ता भुगतान पंजी	
8	आकस्मिकता पंजी	

9	विभिन्न हल्कों का शुल्क संग्रहण, लगान रसीद की कार्यालय प्रति	
10	विभिन्न अभिश्रवों की रसीद संचिकाएँ	
11	वेतन भुगतान पंजी	
12	बैकों का पासबुक	

अप्रस्तुत अभिलेखों की सूची :–

1. हल्का सं0 7 का 3 'A' पंजी
2. वाहनों का इतिहास पंजी
3. विभिन्न कर्मचारियों का संवापुस्त
4. वाहन सं0–BR-25P/6305

   BR-21/0287

   BR-607,BHR9922

   BR-25A/0008

   BR-25P/6317 का लॉग बुक आंशिक अप्रस्तुत।

परिशिष्ट ''ख'' कंडिका– 03 से संबंधित

शीर्ष 2029 भू–राजस्व वर्ष 2012–13 में प्राप्त आवंटन एवं व्यय विवरणी।

क्र0 सं0	मद	प्राप्त आवंटन	व्यय	बचत	अधिक व्यय	प्रत्यार्पण	अभियुक्ति
1	वेतन एवं भत्ते	5474000=00	5473882=00	118=00	शून्य	118=00	का0 ज्ञापांक–230 दिनांक 25.03.13 द्वारा स्था0 उप समाहर्त्ता जहानाबाद को प्रत्यार्पित
2	कार्यालय व्यय	33000=00	33000=00	शून्य	शून्य	शून्य	
3	वाहन का इंधन एवं रख रखाव	85000=00	85000=00	शून्य	शून्य	शून्य	
4	दूरभाष	3000=00	शून्य	3000=00	शून्य	3000=00	
5	विधुत प्रभार	16500=00	शून्य	16500=00	शून्य	16500=00	
6	वर्दी पोशाक	5000=00	5000=00	शून्य	शून्य	शून्य	
7	आर0 टी0 पी0 एस0	222000=00	222000=00	शून्य	शून्य	शून्य	
8	यात्रा भत्ता	2000=00	शून्य	2000=00	शून्य	2000=00	का0 ज्ञापांक 230 दिनांक 25.03.13 द्वारा स्था0 उप समाहर्त्ता

							जहानाबाद को प्रत्यार्पित।
9	व्यावसायिक एवं विशेष सेवा	82193=00	82193=00	शून्य	शून्य	शून्य	

वर्ष 2013–14 प्राप्त आवंटन एवं व्यय विवरणी।

क्र0 सं0	मद	प्राप्त आवंटन	व्यय	बचत	अधिक व्यय	प्रत्यार्पण	अभियुक्ति
1	वेतन एवं भत्ते	3760000=00+ 2140000=00	2958595=00+ 2140000=00	801405=00	शून्य	801405=00	का0 ज्ञापांक 393 दिनांक 31.03.14 द्वारा जिला उपसमाहर्त्ता, जहानाबाद को समर्पित।
2	यात्रा भत्ता	5000=00	शून्य	5000=00	शून्य	5000=00	तदैव
3	कार्यालय व्यय	70000=00	70000=00	शून्य	शून्य		तदैव
4	वाहन इंधन एवं रख रखाव	70000=00	68508=00	1492=00	शून्य	1492=00	तदैव
5	दूरभाष	3000=00	शून्य	3000=00	शून्य	3000=00	तदैव
6	वर्दी	28000=00	3000=00	25000=00	शून्य	25000=00	तदैव

7	आर0 टी0 पी0 एस0	200000=00	199858=00	142=00	शून्य	142=00	तदैव
8	व्यावसायिक एवं विशेष सेवा	120149=00	120149=00	शून्य	शून्य	शून्य	तदैव

शीर्ष 2055 पुलिस वर्ष 2012–13 में प्राप्त आवंटन एवं व्यय विवरणी।

क्र0 सं0	मद	प्राप्त आवंटन	व्यय	बचत	अधिक व्यय	प्रत्यार्पण	अभियुक्ति
1	वेतन एवं भत्ते	5468981=00	3544402=00	1924579=00	शून्य		प्रत्यार्पण संबोधित पक्ष की प्रति अप्राप्त
2	यात्रा भत्ता	526=00	शून्य	526=00	शून्य		तदैव

शीर्ष 2055 पुलिस वर्ष 2013–14 में प्राप्त आवंटन एवं व्यय विवरणी।

क्र0 सं0	मद	प्राप्त आवंटन	व्यय	बचत	अधिक व्यय	प्रत्यार्पण	अभियुक्ति
1	वेतन एवं भत्ते	7711555=00	7709386=00	2169=00	शून्य		प्रत्यार्पण संबोधि पत्र की प्रति अप्राप्त

2	यात्रा भत्ता	804=00	शून्य	804=00	शून्य		तदैव

शीर्ष 2245 के वर्ष 2012–13 में प्राप्त आवंटन एवं व्यय विवरणी।

क्र0 सं0	मद	आय / आवंटन	व्यय	बचत	अधिक व्यय	प्रत्यार्पण	अभियुक्ति
1	आग लगने से राहत कार्य के लिए नकद अनुदान	30000=00	28495=00	1505=00	शून्य	1505=00	का0 ज्ञापांक 229 दिनांक 25.03.13 द्वारा उपसमाहर्त्ता जहानाबाद को समर्पित।
2	आग लगने से क्षतिग्रस्त मकान हेतु अनुदान	10000=00	शून्य	10000=00	शून्य	10000=00	तदैव
3	आग लगने से वस्त्रादि में अनुदान	25000=00	24600=00	400=00	शून्य	400=00	तदैव
4	क्षतिग्रस्त नाव की मरम्मति।	50000=00	36200=00	13800=00	शून्य	13800=00	तदैव
	कुल योग–	**1,15,000=00**	**89,295=00**	**25,705=00**		**25,705=00**	

शीर्ष 2245 के वर्ष 2013–14 में प्राप्त आवंटन एवं व्यय विवरणी।

क्र0 सं0	मद	आय / आवंटन	व्यय	बचत	अधिक व्यय	प्रत्यार्पण	अभियुक्ति
1	आग लगने से राहत कार्य के लिए अनुदान	118000=00	55550=00	62450=00	शून्य	62450=00	का0 ज्ञापांक 394 दिनांक 28.03.14 द्वारा उपसमाहर्त्ता जहानाबाद को समर्पित।
2	आग लगन से क्षतिग्रस्त मकान हेतु अनुदान	146000=00	18700=00	127300=00	शून्य	127300=00	तदैव
3	आग लगने से वस्त्रादि में अनुदान	146000=00	40500=00	105500=00	शून्य	105500=00	तदैव
4	अग्निकाण्ड से प्रभावित व्यक्तियों को खाधान आपूर्ति	158000=00	22788=00	135212=00	शून्य	135212=00	तदैव
5	अग्निकाण्ड से फसल जलने पर कृषि इमपुट अनुदान	50000=00	29820=00	20180=00	शून्य	20180=00	तदैव
6	प्राकृतिक आपदा से	80000=00	शून्य	80000=00	शून्य	80000=00	तदैव

	पशुधन के मृत्यु होने पर अनुग्रह अनुदान						
7	प्रशिक्षण	20895=00	20895=00				तदैव
	कुल योग–	**718895=00**	**188253=00**	**530642=00**		**530642=00**	

शीर्ष 2235 (सामाजिक सुरक्षा और कल्याण) वर्ष 2012–13 में प्राप्त आवंटन एवं व्यय विवरणी।

क्र0 सं0	मद	आवंटन	व्यय	बचत	अधिक व्यय	प्रत्यार्पण	अभियुक्ति
1	शीत लहर से बचाव हेतु उपाय	6000=00	6000=00	शून्य	शून्य	शून्य	

शीर्ष 2235 (सामाजिक सुरक्षा और कल्याण) वर्ष 2013–14 में प्राप्त आवंटन एवं व्यय विवरणी।

क्र0 सं0	मद	आंवटन / अनुदान	व्यय	बचत	अधिक व्यय	प्रत्यार्पण	अभियुक्ति
1	शीत लहर से बचाव हेतु उपाय	8000=00	8000=00	शून्य	शून्य	शून्य	
2	विषाक्त सत्तु खाने से	150000=00	150000=00	शून्य	शून्य	शून्य	

	हुई सामुहिक मृत्यु का अनुदान						

परिशिष्ट "ग" कंडिका– 03 से सम्बंधित

मांग एवं संग्रहण विवरणी वर्ष 2012–13

क्र0 सं0	मद	मांग वर्ष 2012–13			वसूली वर्ष 2013–14			अवशेष वर्ष 2013–14			कुल वसूली
		बकाया	हॉल	योग	बकाया	हॉल	योग	बकाया	हॉल	योग	बकाया
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	माल गुजारी	688450.00	22305.64	710755.64	280502.00	20212.00	300714.00	407948.00	2093.64	410041.64	
2	शेष	954365.00	37125.35	991490.35	67230.00	34190.00	101420.00	887135.00	2935.35	890070.35	
3	शि0 शेष	1908730.00	73056.89	1981786.89	141416.00	68380.00	209796.00	1767314.00	4676.89	1771990.89	
4	स्वा0 शेष	1908730.00	73056.89	1981786.89	148054.00	68380.00	216434.00	1760676.00	4646.89	1765352.89	
5	कृषि शेष	689452.58	27703.65	717156.23	64473.00	24345.00	88818.00	624979.58	3358.65	628338.23	
6	सूद	23598.00	0.00	23598.00	23598.00	0.00	23598.00	0.00	0.00	0.00	
7	योग	6173325.58	233248.42	6406574.00	725273.00	215507.00	940780.00	5448052.58	17741.42	5465794.00	
8	सैरात	0.00	45720.00	45720.00	0.00	45720.00	45720.00	0.00	0.00	0.00	
9	विविध/नापी	0.00	20000.00	20000.00	0.00	20000.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	
	कुल योग–	**6173325.58**	**298968.42**	**6472294.00**	**725273.00**	**281227.00**	**1006500.00**	**5448052.58**	**17741.42**	**5465794.00**	

मांग एवं संग्रहण विवरणी वर्ष 2013–14

क्र0 सं0	मद	मांग वर्ष 2012–13			वसूली वर्ष 2013–14			अवशेष वर्ष 2013–14			कुल वसूली
		बकाया	हॉल	योग	बकाया	हॉल	योग	बकाया	हॉल	योग	बकाया
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	माल गुजारी	254325.00	22305.64	276630.64	197510.00	20860.00	218370.00	56815.10	1445.64	58260.74	
2	शेष	270125.00	37125.35	307250.35	58260.45	22277.00	80537.45	211864.55	14848.35	226712.90	
3	शि0 शेष	540250.00	73056.89	613306.89	126146.00	44554.00	170700.00	414003.90	28602.89	442606.79	
4	स्वा0 शेष	540250.00	73056.89	613306.89	126143.00	44554.00	170697.00	414007.00	28602.89	442609.89	
5	कृषि शेष	227884.00	27703.65	255587.65	51511.55	17636.00	69147.55	176373.03	10067.65	186440.68	
6	सूद	27278.00	NIL	27278.00	27278.00	NIL	27278.00	NIL	NIL	NIL	
7	योग	1860112.00	233248.42	2093360.42	586849.00	149881.00	736730.00	1273063.58	83567.42	1356631.00	
8	सैरात	NIL	142350.00	142350.00	NIL	50835.00	50835.00	NIL	NIL	NIL	
9	विविध	NIL	13000.00	13000.00	NIL	13000.00	13000.00	NIL	NIL	NIL	
	कुल योग–	1860112.00	388598.42	2248710.42	586849.00	213716.00	800565.00	1273063.58	83567.42	1356631.00	

35.60% वसूली

परिशिष्ट 'घ' कंडिका– 04 से संबंधित

अंचल कार्यालय काको के अन्तर्गत स्वीकृत/कार्यरत/रिक्त पदों का विवरण–

क्र0 सं0	पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत बल	रिक्त बल	अभियुक्ति
1	अंचल अधिकारी	01	01	00	
2	प्रधान लिपिक	01	01	00	
3	उच्च वर्गीय लिपिक	01	01	00	
4	निम्न वरीय लिपिक	04	04	00	
5	अंचल निरीक्षक	01	00	01	
6	राजस्व कर्मचारी	09	05	04	
7	अंचल अमीन	01	00	01	
8	चालक	01	01	00	
9	पदचारी	04	04	00	
10	दफादार	02	02	00	
11	चौकीदार	25	23	02	

परिशिष्ट ''ङ'' कंडिका– 06 से सम्बंधित

काको पी0 डब्लू डी0 सब्जी हाट की अंकेक्षित अवधि वर्ष 12–13 एवं 13–14 में वसूली गयी सैरात रकम, कुल रू0 72,206.00 की विवरणी।

वर्ष 12–13					वर्ष 13–14				
क्र0 सं0	वर्ष 12–13	तिथि	एन0 आर0 नम्बर	रकम	क्र0 सं0	वर्ष 13–14	तिथि	एन0 आर0 नम्बर	रकम
1	12–13	29.05.12	846956	5000.00	1	13–14	18.10.13	044574	5300.00
2	12–13	27.06.12	846946	2510.00	2		17.08.13	044557	3900.00
3	12–13	23.08.12	846971	4290.00	3		26.12.13	044582	4200.00
4	12–13	10.10.12	846992	3310.00	4		21.01.14	044588	5600.00
5	12–13	04.01.13	026870	3040.00	5		21.03.14	044602	4100.00
6	12–13	14.01.13	026875	6000.00	6		02.05.14	044621	2229.00
7	12–13	07.03.13	026897	5400.00	7		04.07.13	026944	3000.00
8	12–13	04.04.13	026918	5580.00	8		06.06.13	026934	5200.00
9	12–13	04.04.13	026919	3547.00					
								कुल–	**33529.00**

कुल– 38677.00

+ 33529.00

कुल योग– 72,206.00